न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/36)

चुनाराम पुत्र स्व. आसुराम जाति जाट निवासी खोडा, तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. मानाराम दत्तक पुत्र स्व. श्री देवाराम जाति जाट निवासी खोडा, तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः 1. श्री महेश सीवर — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29.08.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 मानाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर खेत खं. नं. 190 तादादी 3.7302 हेक्टेयर वाके रोही मोजा खोडा तहसील सुजानगढ की पैमाइश करवाकर जहा प्रार्थी के खेत की उतरी–पूर्वी सीमा कायम होती है वहां पर स्थाई पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा, काश्त उपयोग–उपभोग के खेत खं. सं. 190 तादादी 3.3702 हैक्टेयर वाके रोही खोडा तहसील सुजानगढ की पैमाइश कर जंहा प्रार्थी के खेत की उतरी–पूर्वी सीमा कायम होती वहा पत्थरगढी करवाई जावे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस या सूचना नही दी गई है ना ही अपीलान्ट को सुना गया है। अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ सीमा संबधी विवाद है, इस कारण अपीलान्ट भी चाहता है कि उसकी कृषि भूमि की पैमाईश पुख्ता सीमा चिन्हो से सैटलमेन्ट विभाग से करवाई जावे। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2022 को हुई तत्पचात् अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 17.06.2022 को प्राप्त कर समयावधि में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है जबकि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील दिनांक 25.02.2022 की जानकारी प्रारम्भ से थी। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष दिनांक 24.01.2020 को स्वय उपस्थित रहा है, उसके बाद स्वय उपस्थित नही होकर दूर से निगरानी करता रहा। अतः अपीलान्ट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि पर पत्थर गढी के आदेश दिये जिसकी पालना में पत्थर गढीं दिनांक 17.06.2022 को कर दी गई। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह कथन कही नही किया कि वह आदेश जैर अपील के द्वारा की गई पत्थर गढी से किस प्रकार व्यथित है। अपितू अपीलान्ट ने केवल मात्र अपनी खातेदारी भूमि पर पैमाईश करने व पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया हैं जो इस अपील के माध्यम

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने व सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ के निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए खेत खसरा सं. 190 रोही खोड़ा तहसील सुजानगढ़ की पैमाइश कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 24.01.2020 को अपीलान्ट उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली में पीठासीन अधिकारी के अवकाश, कार्यस्थगन व अन्य कार्य में व्यस्त होने के आधार पर तारीख पेशियां दी गई । दिनांक 16.02.2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए तथा दिनांक 25.02.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अपीलान्ट ने अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट का जवाब है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहे है इस कारण उनको निर्णय की जानकारी है । जबकि अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति के पश्चात अधिकांश तारीख पेशियां पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रीडर द्वारा तारीख पेशियां दी गई साथ ही यह अवधि अधिकांशतः कोरोना काल की रहीं है। जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी तो रही होगी मगर निर्णय पारित होने की जानकारी नहीं थी क्योंकि उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण अपीलाधीन निर्णय का कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में दोनो पक्षो को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर